ग्राम पंचायत नौरी झिकली, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

1. **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नौरी झिकली, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति कांता देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री विजय कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री कुलबीर सिंह	01.04.13 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत नौरी झिकली के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.01
2	4.4	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना	-
3	5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली हेतु शेष	0.01
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	3.83

5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.39
6	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	1.97
7	10	निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना	-

भाग-दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत नौरी झिकली, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 27.09.16 से 30.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	03/2014	10/2013
2014-15	03/2015	02/2015
2015-16	03/2016	08/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत नौरी झिकली, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि ०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 229 दिनांक 30.09.16 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 813743(KCCB)

दिनांक 03.10.16 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 **<u>वितीय स्थिति :-</u>**

ग्राम पंचायत नौरी झिकली , द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत नौरी झिकली, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	61083	1539	62622	38896	23726
2014-15	23726	63174	86900	24530	62370
2015-16	62370	37579	99949	61050	38899

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत नौरी झिकली, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	84516	2404889	2489405	2312464	176941
2014-15	176941	1622588	1799529	1596888	202641
2015-16	202641	1687337	1889978	1506764	383214

4.1 **<u>बैंक समाधान विवरणी :-</u>**

स्व: स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 38899

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 383214

कुल ₹ 422113

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 420574

हस्तगत राशि : ₹ 473

अन्तर की राशि : ₹ 1066

बैंक खाता संख्या	राशि

MNREGA, PNB - 13459	0
MNREGA, KCCB – 02229	0
General, Own Source, KCCB – 6637	412856.00
3rd State Commission KCCB – 50741	202.00
RAY KCCB – 49770	0
IAY KCCB – 44932	0
Water Shed –KCCB-09761	1667.00
Water Shed –KCCB-09772	3997.00
13TH FC , KCCB – 41216	1852.00
कुल राशि	**420574.00**

4.2 <u>रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹ 1066 के अन्तर बारे :-</u>

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, SDP, 13th FC ZP, Water shed एवं 13th FC में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय -2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था , जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹1066 का अन्तर पाया गया जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 29.09.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त अन्तर की ₹1066 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.3 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना</u> :-

ग्राम पंचायत नौरी झिकली की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 **नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना :-**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के अनुरूप मे नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षो के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व प्राप्त अनुदानों को खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

5 **पंचायत राजस्व ₹900 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.16 को गृहकर के रूप में ₹900 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग की जानी अपेक्षितओ00**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	0	20400	20400	200	20200
2014-15	20200	21500	41700	41600	100
2015-16	100	22250	22350	21450	900

अतः उक्त लम्बित राशि ₹900 की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।

6 **अनुदान ₹ 3.83 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹383214 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये

अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 **<u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8 **<u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹238543 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **<u>₹ 1.97 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹197468 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 <u>निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-</u>

1. **"“नि. जीप रोड कुब्बा वस्ती से कैम्प की ओर”"** माप पुस्तिका 2030 पृष्ठ 52-54 में निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट , रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद “ P/L C:C 1:3:6” का निष्पादन किया गया था , जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी:

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	**सीमेंट की अपेक्षित मात्रा**	**रेत की अपेक्षित मात्रा**	**बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 40mm)**
P/L C:C 1:3:6 (40mm Nominal size), 3.60 CUM	3.60 X 4.40 = 16 बैग	3.60 X 0.47 = 1.692 CUM OR 60 CFT	3.60 X 0.89 = 3.20 CUM OR 113 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 16 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 10 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत 180 CFT की गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट , रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है। अतः उक्त कार्य में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट , रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त कार्यों पर किए गए अनुपयोगी व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

2. ""नि. जीप रोड किशोरी लाल के घर से जनता राम के घर तक " "माप पुस्तिका 2030 पृष्ठ 55-56 में निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित एक मद " "P/L C:C 1:3:6 (40 mm Nominal size)" का निष्पादन किया गया था , जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	**सीमेंट की अपेक्षित मात्रा**	**रेत की अपेक्षित मात्रा**	**बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 10mm)**
P/L C:C 1:3:6 (40 mm Nominal size) 6 CUM	6 X 4.40 = 26 बैग	6 X 0.47 = 2.82 CUM OR 99 CFT	6 X 0.94 = 5.64 CUM OR 199 CFT

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 26 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 20 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत 300 CFT दर्शाई गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट , रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है। अतः उक्त कार्य में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट , रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उक्त कार्यों पर किए गए अनुपयोगी व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 **1000 किलोग्राम अनाज के अन्तशेष बारे :-**

जांच में पाया कि सामान्य भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 15 पर दिनांक 22.05.02 से 1000 किलोग्राम अनाज (चावल) की मात्रा दर्ज थी जिसे आज तक भण्डार रजिस्टर से जारी नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 1000 किलोग्राम अनाज (चावल) की वर्तमान दरों पर उचित स्त्रोत से वसूली करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

12 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों

का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।

13 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)44/2016–खण्ड–1–939–942 दिनाँकः13.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नौरी झिकली, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.